N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0040 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/02/2025 19:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/02/2025 **Time (समय):** 19:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/02/2025 19:54:12 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 120 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY GRAM PANCHAYAT, 90GB PANCHAYAT SAMITI, ANUPGARH SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GURDAS SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LABH SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAK 6 APM, TAHSIL ANOOPGARH, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAK 6 APM, TAHSIL ANOOPGARH, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJ KUMAR		पिता:RAMCHANDRA BAVRI	1. HAAL SURKSHA GARD,SAVIDAKARMI GRAM PANCHAYAT,90 GB PANCHAYAT SAMITI,ANOOPGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	आरोपी से 5000 रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई ।	5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में,

श्रीमान डीएसपी साहब, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्रीगंगानगर विषयः- भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी गुरदास सिंह उम्र 38 साल निवासी 6 एपीएम तह0 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का हूं। मेरी पत्नी श्रीमती कमलजीत कौर के नाम पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हमारे गांव 6 एपीएम में आवास स्वीकृत हुआ है। जिसकी पहली किश्त जारी करने के लिये हमारी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जसमैल सिंह व एलडीसी विनोद कुमार द्वारा गार्ड राजकुमार के माध्यम से 6000 रूपये रिश्वत के मांग की जा रही है। मैं गरीब मजदूर आदमी हं और हम उन्हें रिश्वत नहीं देना चाहते है। आप उनके विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर हमारे आवास की किश्त दिलवाने की कृपा करें। मेरा उक्त के साथ किसी प्रकार का लेनदेन बकाया नहीं है और ना ही कोई विवाद है। रिपोर्ट देता हू कार्यवाही करें। दिनांक 17.02.25 प्रार्थी एसडी गुरदास सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति मजबी सिख उम्र 38 साल निवासी 6 एपीएम तह0 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर मो. नं. [redacted] कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 17.02.2025 वक्त 1.30 पीएम पर परिवादी गुरदास सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति मजबी सिख उम्र 38 साल नि0 6 एपीएम तह0 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-द्वितीय पर उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को यह लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरी पत्नी श्रीमती कमलजीत कौर के नाम पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हमारे गांव 6 एपीएम में आवास स्वीकृत हुआ है। जिसकी पहली किश्त जारी करने के लिये हमारी ग्राम पंचायत 90 जीबी के ग्राम विकास अधिकारी जसमैल सिंह व एलडीसी विनोद कुमार द्वारा गार्ड राजकुमार के माध्यम से 6000 रूपये रिश्वत के मांग की जा रही है।, मै उसे रिश्वत नही देकर पकड़वाना चाहता हूँ। मैं गरीब मजदूर आदमी हं और हम उन्हें रिश्वत नहीं देना चाहते है। इस सम्बधं में आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु मेरी पत्नी ने अपनी सहमति दी है, परिवादी द्वारा एक लिस्ट प्रस्तुत की गई जिसके क्र0 सं0 98 पर परिवादी की पत्नी का नाम अंकित है इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी श्री गुरदास सिंह को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने इस हेतु अपनी सहमति दी। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री भवानी कानि0 व श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 से परिचय करवाया गया। परिवादी ने बताया कि मै कल रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 18.02.2025 को वक्त 7.00 एएम पर श्री उपेन्द्र कुमार कानि. को डिजीटल वाइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाइस रिकार्डर सुपुर्द किया गया। फिर श्री भवानी सिंह कानि. व उपेन्द्र कुमार कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु 90 जीबी के लिए हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 8.00 पीएम पर श्री भवानी सिंह कानि. व श्री उपेन्द्र कुमार कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। श्री उपेन्द्र कुमार कानि. ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मेरे पेश कर बताया कि मैं व भवानी सिंह कार्यालय हाजा से रवाना होकर चक 90 जीबी के पास पहुंचे, जहां परिवादी गुरदास सिंह मौजूद मिला, जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी की मौजूदगी का मालूमात किया गया तो वह पंचायत घर में नही मिला, फिर आरोपी के करीब 3.15 पीएम पर पंचायत घर में आने पर मैंने डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके परिवादी गुरदास सिंह को देकर आरोपी से सम्पर्क कर वार्ता करने की हिदायत कर रवाना किया तथा मैं व भवानी सिंह वहीं आस पास गोपनीय स्थान पर मुकीम हो गये। परिवादी करीब 20-25 मिनट बाद हमारे पास आया जिस पर मैंने परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर लिया। परिवादी ने मेरे को बताया कि राजकुमार ने मेरे से मेरी पत्नी कमलजीत कौर के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किष्त जारी करवाने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी के लिये पूर्व से तय 6,000

रूपये रिश्वत लेने पर सहमति जतायी है। परिवादी ने बताया कि मै कल आपके आफिस में रिश्वत राशि सहित उपस्थित हो जाऊंगा, इसलिए वो वही रूक गया तथा मैं व भवानी सिंह कानि. वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचे। डिजीटल वाइस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो उक्त तथ्यों की ताईद हुई। डिजीटल वाइस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 19.02.25 वक्त 4.30 पीएम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया आज मेरे से रिश्वत राशि की व्यवस्था नही हुई है, इसलिये मै आज आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सकता। कल सुबह जल्दी ही आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर आगामी कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्कता होने से अति. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह भिजवाने हेतु जरिये दूरभाष निवेदन किये जाने पर श्री राहूल कनिष्ठ सहायक व श्री निगम दाधीच वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर उपस्थित आये। जिन्हे कल सुबह वक्त 8.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 20.02.25 वक्त 7.30 एएम पर परिवादी गुरदास सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि दिनांक 18.02.25 को आपके कार्यालय के श्री उपेन्द्र कुमार व श्री भवानी सिंह कानि. मुझे मेरी ग्राम पंचायत 90 जीबी के पास सुबह करीब 11-12 बजे के बीच मिले, जिस पर मैने आरोपी राजकुमार का पंचायत घर में होने का मालूमात किया तो वह नही आया हुआ था, फिर हम वही आस पास गोपनीय स्थान पर रूक गये थे, आरोपी राजकुमार करीब के करीब 3.15 पीएम पर पंचायत घर में आने पर श्री उपेन्द्र कुमार ने डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके मुझे दिया, जिस पर मै वहा से रवाना होकर पंचायत घर 90 जीबी में जाकर आरोपी राजकुमार से मिलकर मेरे काम के सम्बध में बातचीत की तो राजकुमार ने मेरे से मेरी पत्नी कमलजीत कौर के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जारी करवाने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी के लिये पूर्व से तय 6,000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमति जतायी। फिर मै पंचायत घर से निकलकर गोपनीय स्थान पर रूके श्री भवानी सिंह कानि. व श्री उपेन्द्र कुमार कानि. के पास पहुंच डिजीटल वाईस रिकार्डर दे दिया। फिर मैने उपेन्द्र कुमार को बताया था कि मै कल आपके आफिस में रिश्वत राशि सहित उपस्थित हो जाऊंगा, जिस पर मै वही से अपने घर चला गया तथा उपेन्द्र कुमार व भवानी सिंह वहां से रवाना हो गये थे। कल रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने के कारण मै आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सका। मै रिश्वत राशि 6,000 रूपये लेकर आगामी कार्यवाही हेतु उपस्थित आया हूँ। वक्त 8.00 एएम पर तलबिदा गवाह श्री राहूल कनिष्ठ सहायक व श्री निगम दाधीच वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये है। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री गुरदास सिंह का उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 18.02.25 को परिवादी श्री गुरदास सिंह ने आरोपी श्री राजकुमार गार्ड से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था जो मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा है। डिजीटल वाईस रिकार्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी गुरदास सिंह ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी राजकुमार गार्ड की होना बताया। डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री उपेन्द्र कुमार कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वाइस रिकार्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क V अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द मे अंकित की गई। फिर परिवादी श्री गुरदास सिंह ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6,000 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोट पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है- 1.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.9QG603489 ,2.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3HL655098,3. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1UD239908 ,4.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1NM647680, 5.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0DL205737,6. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1NM207582, 7. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4KH660986, 8.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0DD571238, 9.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0NB508083, 10.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5AL794887, 11.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.7CN127827, 12.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.7LW569122 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन उप पुलिस अधीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री धर्मवीर कानि0 94 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह निगम दाधीच से परिवादी श्री गुरदास सिंह की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 6000 रूपये के नोटो को श्री धर्मवीर कानि0 94 के जरिये परिवादी के पहने बुशर्ट की उपरी

बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन् उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड काल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें । परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री धर्मवीर कानि0 94 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री धर्मवीर कानि0 94 के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चैकी हाजा का डिजीटल वाइॅस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री गुरदास सिंह को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। वक्त 11.30 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री गुरदास सिंह, स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल, श्री निगम दाधीच एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री दारा सिंह एएसआई, श्री जगदीश राय मु0आर0, श्री नरेन्द्र कुमार मु0आ0, श्री राजेश कुमार मु0आ0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0, श्री मनजीत चलाना कानि0, श्री भंवर राम कानि0, श्री उपेन्द्र कुमार कानि0, श्री शिवदत कानि0 मय लेपटाप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बाक्स साथ लेकर निजी एवं प्राईवेट कारो से गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर गांव 90 जीबी के नजदीक गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी गुरदास सिंह को आरोपी से सम्पर्क करने ग्राम पंचायत भवन 90 जीबी की ओर रवाना करते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 2.10 पीएम पर परिवादी गुरदास सिंह द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत 90 जीबी से ट्रेप का निर्धारित इशारा मिलने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब परिवादी के पास ग्राम पंचायत भवन के गेट पर पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकार्डर पेश कर एक जिन्स पेंट पहने सांवले रंग के युवक की ओर ईशारा कर बताया कि यही राजकुमार गार्ड है, जिन्होने मेरे से 6000 रूपये रिश्वत के ले लिये, जिस पर मेरे द्वारा छूट करने का कहने पर इसने मुझे 1000 रूपये वापस दे दिये है। जिस पर ब्यूरो स्टाफ से उस युवक को काबु किया गया तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली दी जाकर आरोपी को साथ लेकर उसी भवन में बने सरपंच कक्ष में पहूंचा। जहां पर पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राज कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 38 साल जाति बावरी निवासी चक 89 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर हाल सुरक्षा गार्ड (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत 90 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी से परिवादी से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब मैने गुरदास के जन आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बधिंत स्टाम्प आदि तैयार करवाकर दिये थे, जिसकी एवज में मैने मेहनताने के 5000 रूपये आज लिये है, मेरे द्वारा इससे कोई रिश्वत की राशि नही ली है, यह गुरदास सिंह थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था, इसने मुझे 6000 रूपये दिये थे, फिर इसके द्वारा कुछ कम करने का कहने पर मेरे द्वारा इसे 1000 रूपये वापस लौटा दिये, यह 5000 रूपये मेरे पेंट की जेब में रखे है। फिर मौका पर परिवादी गुरदास सिंह ने स्वतः ही रूबरू गवाहान आरोपी राजकुमार की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि साहब मेरी पत्नी कमलजीत कौर के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हो रखा है, जिसकी पहली किश्त जारी करने की एवज में मेरे से राजकुमार गार्ड ने ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी के नाम पर 6,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था, जिस पर मेरे द्वारा कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने पर आपके द्वारा दिनांक 18.02.25 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी राजकुमार द्वारा पूर्व में तय अनुसार 6000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ, जिस पर आज रिश्वत मांग के क्रम में राजकुमार गार्ड से ग्राम पंचायत 90 जीबी के कार्यालय भवन में मिला तो उससे बातचीत कर 6,000 रूपये रिश्वत के दिये, फिर मेरे द्वारा छूट का कहने पर राजकुमार ने मुझे 1000 रूपये वापस दे दिये, जो मेरे पास है। आरोपी राजकुमार झूठ बोल रहा है, इसने मेरे कोई कागजात तैयार नही किये, ना ही कोई इसे मेहनताने के रूपये देने थे, आज इसने मेरे से रिश्वत के 5000 रूपये लिये है। जिस पर आरोपी से इस सम्बधं में पुन पूछा तो आरोपी राजकुमार चुप रहा। उक्त कार्यवाही की मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मोबाईल से विडियो रिकार्डिंग की गई। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपी राजकुमार के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी राज कुमार के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु प्राईवेट गाड़ी में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी राज कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस

लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी राज कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी राज कुमार से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पहनी जिन्स पेंट के बांयी साईड की आगे की जेब में होना बताया, जिस पर गवाह श्री निगम दाधीच से आरोपी के पहनी पेंट की बांयी साईड की आगे की जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने 500-500 रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 500-500 रू के 10 नोट कुल 5,000 रू होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामदशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण इस प्रकार है- 1.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9QG603489, 2.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1NM647680, 3.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0DL205737, 4.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.1NM207582, 5.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.4KH660986, 6.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0DD571238, 7.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.0NB508083, 8.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5AL794887, 9.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.7CN127827, 10.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.7LW569122 उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी के पहनी जिन्स पेंट बरंग हल्का आसमानी की बांयी साईड की आगे जेब धुलवाने के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर आरोपी राजकुमार के पहनी जिन्स पेन्ट को दूसरा लोअर पहनने के लिये दिया जाकर उतरवायी गई पेन्ट के बांयी साईड की आगे की जेब को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का पी-1, पी-2 अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात जिन्स पेन्ट के बांयी साईड की आगे की जेब को सुखाकर उस पर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर परिवादी श्री गुरदास सिंह को आरोपी द्वारा लौटाये गये 1000 रूपये पेश करने के निर्देश देने पर परिवादी श्री गुरदास सिंह ने 500-500 रूपये के दो नोट कुल 1000रूपये प्रस्तुत किये, फिर गवाहो से इन नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। नोटो के नम्बरो का विवरण निम्नानुसार है 1. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3HL655098, 2.एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1UD239908 उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी राजकुमार को परिवादी की पत्नी कमलजीत कौर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान से सम्बधिंत दस्तावेजो के बारे में पूछने पर उसने बताया कि इस सम्बधं में दस्तावेज हमारी ग्राम पंचायत कार्यालय में ही है, जिस पर मौके पर कार्यालय में उपस्थित श्री जसमेर सिंह ग्राम विकास अधिकारी को उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश देने पर श्री जसमेर सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री गुरदास सिंह के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बधित कागजात की प्रमाणित प्रति कुल पृष्ठ 7 प्रस्तुत की। श्री राजकुमार सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति सम्बधी कागजात चाहे जाने पर श्री जसमेर सिंह ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि श्री राजकुमार वर्ष 2013-14 से आज तक लगातार विभिन्न ठेका कम्पनीयो के माध्यम से ग्राम पंचायत में बतौर सुरक्षा गार्ड नियुक्त है, जिसके सम्बधं में पंचायत समिति अनूपगढ द्वारा मैसर्स अंजनी सिक्योरिटी सर्विस रायसिंहनगर को प्रदत्त कार्यादेश एवं मैसर्स अंजनी सिक्योरिटी सर्विस रायसिंहनगर के नियुक्ति पत्र की प्रमाणित प्रति कुल पृष्ठ तीन प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेज बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात आरोपी राजकुमार को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। वक्त 4.30 पीएम पर परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वाईस रिकार्डर रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रसक्रिप्ट तैयार कर व डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की लेपटाप से श्री उपेन्द्र कुमार कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वाइस रिकार्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क T अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार किया गया। फिर घटनास्थल कार्यालय ग्राम पंचायत 90 जीबी में ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मोबाईल से बरामदगी रिश्वत राशि तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Memory में की गई। मोबाईल को लेपटाप से कनेक्ट कर श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग अलग पैन ड्राईव में कापी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क X-1 अंकित कर

सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क X-2 अंकित कर को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। फिर ट्रेप कार्रवाई में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 13 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। वक्त 6.30 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी गुरदास सिंह को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस गिरफ्तारशुदा आरोपी राजकुमार के हमराहीयान के जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के निजी कार एवं प्राईवेट कारो से रवाना होकर वक्त 9.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः सील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 6,000 रू रिश्वत राशि, सील्ड शुदा पेन्ट, सील्डशुदा मैमोरी कार्ड, सील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री नरेन्द्र कुमार मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा आरोपी राजकुमार को ब्यूरो स्टाफ के साथ राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर भिजवाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया एवं वास्ते रात्रि सुरक्षा पुलिस थाना पुरानी आबादी की हवालात में रखा गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री गुरदास सिंह की पत्नी श्रीमती कमलजीत कौर के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की पहली किश्त जारी करवाने की एवज में राजकुमार सुरक्षा गार्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी ग्राम पंचायत 90 जीबी के नाम से 6000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा था। जिस पर परिवादी श्री गुरदास सिंह द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर कार्यवाही हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.02.25 को आरोपी राज कुमार के पास भिजवाकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी राजकुमार द्वारा पूर्व में तय अनुसार 6000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। उक्त रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 20.02.25 को परिवादी गुरदास सिंह से आरोपी राज कुमार द्वारा ग्राम पंचायत 90 जीबी के कार्यालय भवन में 6,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त करना, फिर परिवादी द्वारा छूट का कहने पर आरोपी राजकुमार द्वारा 1000 रूपये परिवादी श्री गुरदास सिंह को वापस देना, रिश्वत राशि 5,000 रूपये आरोपी द्वारा अपने पहनी जिन्स पेन्ट की बांयी साईड की आगे की जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी राजकुमार के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकार्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी राज कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बावरी निवासी चक 89 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर हाल सुरक्षा गार्ड (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत 90 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपी राज कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 38 साल जाति बावरी निवासी चक 89 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर हाल सुरक्षा गार्ड (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत 90 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। भवदीय (वेदप्रकाश लखोटिया) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेदप्रकाश लखोटियाँ उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी राज कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बावरी निवासी चक 89 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर हाल सुरक्षा गार्ड (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत 90 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 367 पर अंकित है (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 202-05 दिनांक 21.02.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीगंगानगर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर-तृतीय, 3. विकास अधिकारी पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर द्वितीय। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): BHUPENDER KUMAR SONI Rank (पद): उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):
No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[redacted]/2025 1[redacted]8

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/06/1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)